इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022—आषाढ़ 17, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2022

शुद्धि–पत्र

क्र. 1402–मप्रविनिआ–सं(आर.ई.)–2022.– मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1165, दिनांक 31 मई 2022 का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 31 मई 2022, क्र. 290 पर किया गया है. इस अधिसूचना की हिन्दी संस्करण में निम्नानुसार विनियम त्रुटिवश प्रकाशित हो गये.

स. क्र.	विनियम क्र.	त्रुटिपूर्ण विनियम	शुद्ध विनियम
1	2.1 (छ)(एक)	ऐसे किसी तन्तुपथ (लाइन) हेतु कोई आलम्ब, जिसका अभिप्राय किसी संरचना, टावर, खम्भा (पोल) अथवा अन्य किसी वस्तु से है जिसके अन्दर, ऊपर या द्वारा से है जिसके द्वारा ऐसा कोई तन्तुपथ आलम्बित किया गया, वहन किया गया अथवा लटकाया गया हो ; एवं	ऐसे किसी तन्तुपथ (लाइन) हेतु कोई आलम्ब, जिसका अभिप्राय किसी संरचना, टावर, खम्भा (पोल) अथवा अन्य किसी वस्तु से है जिसके अन्दर, ऊपर या द्वारा, ऐसा कोई तन्तुपथ आलम्बित किया गया, वहन किया गया अथवा लटकाया गया हो या ऐसा किया जा सकता हो ; एवं
2	2.1 (ड़)(एक)	एकीकृत विनिर्माण गतिविधियों, के कार्यान्वयन हेतु, औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु एक औद्योगिक आदर्श नगर (मॉडल टाऊन) की स्थापना जिसके अनुसार उसके परिवेश के अन्तर्गत भूखण्डों अथवा शेडों तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शामिल करना ; अथवा	एकीकृत विनिर्माण गतिविधियों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों सहित, के कार्यान्वयन हेतु, औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु एक औद्योगिक आदर्श नगर (मॉडल टाऊन), की स्थापना जिसमे उसके परिवेश के अन्तर्गत भूखण्डों अथवा शेडों तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हो ; अथवा
3	2.1 (य)	"विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस)" से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, विद्यमान उपभोक्ता के भार में वृद्धि हेतु नवीन उपभोक्ता आवेदक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपभोक्ताओं/ आवेदकों द्वारा देय विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, वितरण प्रणाली तथा पारेषण प्रणाली को विकसित करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लागत : और	"विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस)" से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, नवीन उपभोक्ता/ आवेदको की विद्युत आवश्यकताकी पूर्ति अथवा विद्यमान उपभोक्ताओं के संलग्न भार वृद्धि हेतु आवश्यक वितरण प्रणाली तथा पारेषण प्रणाली, यथाप्रयोज्य, के विकास अथवा सुदृढीकरण की लागत हेतु उपभोक्ताओं/ आवेदकों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय प्रभार : और

4	3.2	वितरण अधिकारी आवेदक/ उपभोक्ता से इन विनियमों के माध्यम से केवल आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप से नवीन उपभोक्ता/ आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के प्रयोजन हेतु अथवा विद्यमान निम्न दाब के संयोजन मे वृद्धि हेतु तथा विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु ही कर सकेगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा/ भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी।	वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदक/ उपभोक्ता से इन विनियमों के माध्यम से केवल आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप से नवीन उपभोक्ता/ आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के प्रयोजन हेतु अथवा विद्यमान निम्न दाब के संयोजन मे संयोजित भार की वृद्धि हेतु तथा विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु ही कर सकेगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा/ भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी।
5	3.3	निम्न दाब संयोजनों हेतु संयोजित भार तथा उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा माँग में वृद्धि के प्रकरण में विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की गणना निम्न दाब संयोजन हेतु कुल संयोजित भार और उच्च दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा माँग मे से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार/ संविदा माँग को प्रयोज्य प्रभार घटाकर की जाएगी जैसा कि यह इन विनियमों में उपबन्धित किया गया है। तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में जो माँग आधारित विद्युत–दर धारित करते हैं, को 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नही होंगे, यदि निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों हेतु पूर्व ही से निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान किया जा चुका हो : परन्तु यह कि यदि उपभोक्ता (गण) यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे माँग किये गये भार मे वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण परिवर्तन करने का / के इच्छुक हो/ हों या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तित होने का/ के इच्छुक हो/ हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखतें हों, ऐसे उपभोक्ता को ऐसी उच्चतर वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा।	निम्न दाब संयोजनों हेतु संयोजित भार तथा उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा माँग में वृद्धि के प्रकरण में विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की गणना निम्न दाब संयोजन हेतु कुल संयोजित भार और उच्च दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा माँग मे से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार/ संविदा माँग को प्रयोज्य प्रभार घटाकर की जाएगी जैसा कि यह इन विनियमों में उपबन्धित किया गया है। तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में जो माँग आधारित विद्युत–दर धारित करते हैं, को 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नही होंगे, यदि निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार पूर्व ही से भुगतान किया जा चुका हो : परन्तु यह कि यदि उपभोक्ता (गण) यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे माँग किये गये भार मे वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण वोल्टेज स्तर परिवर्तन करने का / के इच्छुक हो/ हों या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तित होने का/ के इच्छुक हो/ हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखतें हों, ऐसे उपभोक्ता को ऐसी उच्चतर वोल्टेज पर सम्पूर्ण माँग हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा।

6	4.1.10	यदि आवेदक आंशिक विद्युतीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता हो तो इसे अनुमति प्रदान की जा सकेगी। ऐसा इस शर्त पर किया जाएगा जब विकासक किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (जिसकी वैधता 5 वर्षों के लिये होगी) प्रस्तुत करता हो जिसकी राशि अतिशेष कार्यों की अनुमानित लागत की 150 प्रतिशत राशि के बराबर होगी तथा एक अनुबन्ध निष्पादित करता हो जिसमें अवशेष क्षेत्र के चरणबद्ध विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने हेतु स्पष्ट रूप से समय–सीमा निर्धारित की जाएगी। बैंक गारंटी की राशि शेष विद्युतीकरण कार्यों के पूर्ण होने के साथ निरन्तर कम होती चली जांएगी। अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि के अनुरूप बैंक गारंटी की प्रस्तुति पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह समय–समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निर्दिष्ट की गई समय–सीमाओं के अनुसार कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के रहवासियों/अधिभोक्ताओं के संयोजन (कनेक्शन) जारी करे : परन्तु यह कि यदि आवेदक अवशेष क्षेत्र हेतु विद्युतीकरण कार्यो को पूर्ण करने में अक्षम रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी बैंक गारंटी अपवर्तित (फोरफीट) कर सकेगा : परन्तु यह और कि आंशिक विद्युतीकरण के प्रकरण में विकासक कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के परिसर के प्रवेश द्वार पर विद्युतीकरण की चरण बद्ध अद्यतन स्थिति प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे तथा ऐसा प्रदर्श विद्यमान/भावी रहवासियों को सदैव दृष्टिगोचर होता रहे।	यदि आवेदक आंशिक विद्युतीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता हो तो इसे अनुमति प्रदान की जा सकेगी। ऐसा इस शर्त पर किया जाएगा जब विकासक किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (जिसकी वैधता 5 वर्षों के लिये होगी) प्रस्तुत करे जिसकी राशि अतिशेष कार्यों की अनुमानित लागत की 150 प्रतिशत राशि के बराबर होगी तथा एक अनुबन्ध निष्पादित करे जिसमें अवशेष क्षेत्र के चरणबद्ध विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने हेतु स्पष्ट रूप से समय–सीमा निर्धारित की जाएगी। बैंक गारंटी की राशि शेष विद्युतीकरण कार्यों के पूर्ण होने के साथ निरन्तर कम होती चली जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि के अनुरूप बैंक गारंटी की प्रस्तुति पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह समय–समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निर्दिष्ट की गई समय–सीमाओं के अनुसार कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के रहवासियों/अधिभोक्ताओं के संयोजन (कनेक्शन) जारी करे : परन्तु यह कि यदि आवेदक अवशेष क्षेत्र हेतु विद्युतीकरण कार्यो को स्वीकार्य समय में पूर्ण करने में अक्षम रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी बैंक गारंटी अपवर्तित (फोरफीट) कर लेगा और अवशेष बाह्य विद्युतिकरण कार्य पूर्ण करेगा। परन्तु यह और कि आंशिक विद्युतीकरण के प्रकरण में विकासक कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के परिसर के प्रवेश द्वार पर विद्युतीकरण की चरण बद्ध अद्यतन स्थिति प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे तथा ऐसा प्रदर्श विद्यमान/भावी रहवासियों को सदैव दृष्टिगोचर होता रहे।
7	4.2.6	वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता, विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4.2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :	वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता, विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4.2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

स. क्र.	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारोंको सम्मिलित कर
एक.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 500 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो.	3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1510+ रू. 1510 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
तीन.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 12110+ रु. 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
चार.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 100 किलोवाट से अनाधिक	रू. 69000+ रु. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो
पांच	100 किलोवॉट से अधिक	रू. 6900+ रु. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 100 किलोवाट से

स. क्र.	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारोंको सम्मिलित कर
एक.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 500 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो.	3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1510+ रू. 1510 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
तीन.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 12110+ रु. 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
चार.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 50 किलोवाट से अनाधिक	रू. 69000+ रु. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो

				अधिक हो (अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी)	पांच	50 किलोवॉट से अधिक	रू. 6900+ रू. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 50 किलोवाट से अधिक हो (इसके अतिरिक्त अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी)

8	अनुलग्नक एक (दो) (4)	ii. उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण प्रभार मापयंत्र (मीटर) करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) तथा मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	ii. उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण प्रभार मापयंत्र (मीटर) करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) तथा मापन उपकरण (मीटरिंग इक्यूपमेंट)

स. क्र.	विवरण	रू. प्रति कार्य
1	एकल फेज ऊर्जा मापयन्त्र (एनर्जी मापयन्त्र)	80
2	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, निम्न दाब सीटी के बगैर	170
3	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, मय निम्न दाब सीटी के	1680
4	विशेष मापयन्त्र (मीटर) बाइवेक्टर/ट्राइवेक्टर	7680
5	निम्न दाब करंट ट्रांसफार्मर (एलटीसीटी)	500
6	33/11 केवी मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	5000
7	33 केवी से अधिक क्षमता का मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	8400

यदि उपभोक्ता उपकरण की शुद्धता को चुनौती देता हो तथा उक्त दावा सही पाया जाता है तो उपरोक्त राशि उसे लौटा दी जावेगी

स. क्र.	विवरण	रू. प्रति कार्य
1	एकल फेज ऊर्जा मापयन्त्र (एनर्जी मापयन्त्र)	80
2	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, निम्न दाब सीटी के बगैर	170
3	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, मय निम्न दाब सीटी के सहित	1680
4	विशेष मापयन्त्र (मीटर) बाइवेक्टर/ट्राइवेक्टर	1680
5	निम्न दाब करंट ट्रांसफार्मर (एलटीसीटी)	500
6	33/11 केवी मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	5000
7	33 केवी से अधिक क्षमता का मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	8400

					यदि उपभोक्ता उपकरण की शुद्धता को चुनौती देता हो तथा उक्त दावा सही पाया जाता है तो उपरोक्त राशि उसे लौटा दी जावेगी

अतएव, यह शुद्धि–पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशित हिन्दी संस्करण में उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण विनियमों के स्थान पर शुद्ध विनियम पढ़े जावेंगे।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.